APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम आहोर

राजस्थान राज्य जरिये पटवारी तहसीलदार आहोर बनाम हरीश पु. रामप्रताप जाट नि० हनुमानगढ़ जंक्शन तह० हनुमानगढ़

किस्म मुकदमा U/S 177 R.T. Act नं. 79/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-9-14	वादी द्वारा विरुद्ध प्रतिवादी वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T. Act के तहत पेश किया गया है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 20-10-14 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर (जिला-जालोर)	
20-10-14	वादी की ओर से राज्य पैरोकार हाजिर। प्रतिवादी की तलबी हेतु रा० पैरोकार [illegible] पेश करे। [illegible] होकर पत्रावली [illegible] पेश होवे व जारी होकर दिनांक 1-12-14 को पेश हो।	1-12-14
1-12-14	वकील [illegible] हाजिर। वादी रा० पै० का प्रतिवादी की तलबी हेतु [illegible] हेतु [illegible] जावे [illegible] पत्रावली [illegible] 9-1-15 को पेश हो।	

25-11-19 पत्रावली आज पेश हुई वादी उपस्थित वादी की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी अनुपस्थित पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 27-11-19 को वास्ते आदेश हेतु पेश हो।

27-11-19 पत्रावली आज पेश हुई निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर, जिला जालोर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रशान्त शर्मा RAS

अज अदालतः–सहायक कलेक्टर मुकामः–आहोर

व इजलासः–

प्रकरण संख्या : 79/2014

अनवान

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर

.........वादी

बनाम

हरीश पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट, निवासी हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

...........प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांकः–27.11.19**

वादी/प्रार्थी की ओर से दिनांक 22.08.14 को पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी हरीश को मौजा बादनवाडी के ख.नं. 516/774 रकबा 1.21 हैक्टर की भूमि में प्रतिवादी हरीश द्वारा उपर्युक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करवाये बिना कृषि प्रयोजनार्थ से भिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाने पर प्रतिवादी हरीश को उपर्युक्त खसरा नम्बर की आराजी से अहितकर कार्य करने के आधार पर बेदखल करने का आदेश फरमावें। तहसीलदार आहोर द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न हैः–

1. नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पटवार हल्का प्रार्थना पत्र मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।

उक्त आराजी के संदर्भ में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी पटवार हल्का बादनवाडी द्वारा पेश संलग्न पत्र में श्री हरीश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी धानमण्डी द्वारा स्वयं की खातेदार मौजा बादनवाडी के ख.नं. 516/774 रकबा 1.21 हैक्टर कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना बताया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.08.14 को दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी को जरिए नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया। दिनांक 08.06.2016 को तामिल हेतु नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया।

दिनांक 10.06.19 को तहसीलदार आहोर से शहादत हेतु जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त शहादत के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न हैः–

1. नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पटवार हल्का रिपोर्ट (मौका फर्द) मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।
3. मौके का फोटोग्राफ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

उक्त आराजी के संदर्भ में दिनांक 14.02.2019 को पटवारी पटवार हल्का बादनवाडी द्वारा पेश मौका फर्द में हरीश पुत्र डॉ. रामप्रताप कौम जाट निवासी धानमण्डी हनुमानगढ जक्शन तह व जिला हनुमानगढ के खसरा सं. 516/774 की उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा तथा पश्चिम दिशा में लगभग 6 फीट उंची पक्की दिवार तथा दक्षिणी दिशा की दीवार में एक बडा एवं एक छोटा लोहे का दरवाजा तथा दरवाजे के पास छोटा कमरा एवं पिलर के सहारे छपरा व मध्य में धर्मकांटे हेतु छोटा कमरा होना बताया गया।

दिनांक 18.11.19 को पत्रावली पेश होने पर बहस प्रारम्भ हुई। प्रतिवादी गैर हाजिर रहा तथा शहादत का कोई विरोध नहीं किया गया। अतः प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दिनांक 25.11.19 को पत्रावली पेश होने पर वादी पक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादी पुनः अनुपस्थित रहा।

कई बार समय देने के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा उपस्थित न होने एवं अपने दावे के पक्ष में कोई प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में यह न्यायालय आज दिनांक 27.11.19 निम्नलिखित निर्णय पर पहुंची है-

आदेश

वादी के वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। वादी के आवेदन मे स्पष्ट इंगित किया गया है कि प्रतिवादी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य, व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ था उससे असंगत है। अतः न्यायालय सम्पूर्ण प्रकरण को सुनने के बाद वादी के पक्ष में आदेश करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। खातेदार द्वारा काश्त करने के प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का उपयोग गैर काश्त हेतु किया गया है।

अतः प्रतिवादी को उक्त आराजी कृषि भूमि से बेदखल कर खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटाकर उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाता है। धारा 178(2) रा. का. अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत यदि प्रतिवादी द्वारा एक माह के भीतर नुकसान की पूर्ति कर दी जावे या निम्नानुसार सम्पूर्ण संपरिवर्तन शुल्क राज्य सरकार को अदा कर दी जावे तो उक्त आदेश या डिक्री का निष्पादन नही किया जावें। तहसीलदार आहोर को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना करा रिपोर्ट 45(पैतालीस) दिवस में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार डिकी पर्चा जारी किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.19 को मेरे द्वारा लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आहोर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः–**सहायक कलेक्टर** मुकामः–आहोर

व इजलासः–

प्रकरण संख्या : 79/2014

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीदार आहोर जिला जालोर

.........वादी

हरीश पुत्र रामप्रताप, जाति जाट, निवासी धानमण्डी हनुमानगढ, जक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)

...........प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। वादी के आवेदन मे स्पष्ट इंगित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य, व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ था उससे असंगत है। अतः न्यायालय सम्पूर्ण प्रकरण को सुनने के बाद वादी के पक्ष में आदेश करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। अतः डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी को उक्त आराजी कृषि भूमि से बेदखल कर खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटाकर उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाता है। प्रतिवादी के नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर पूर्ण जमीन(खातेदारी) को सिवायचक घोषित करने का आदेश जारी किया जाता है।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में डिक्री आज दिनांक 27.11.19 को जारी की गई।

मोहर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर जिला–जालोर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	आ.	पा.	प्रतिवादी	रूपये	आ.	पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–	2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	–	–	3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	–	–
4. ....रूपये परप्लीडर की फीस	–	–	–	4. ....रूपये परप्लीडर की फीस	–	–	–
5. साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	–	5. साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	–
6. कमिश्नर फीस	–	–	–	6. कमिश्नर फीस	–	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–	–	7. आदेशिका की तामील	–	–	–
योग	–	–	–	–	–	–	–

प्रतिलिपिः– तहसीलदार आहोर को पालनार्थ

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner